*अति आवश्यक/कोरोना वायरस (Covid-19)*

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकःनिस/निदेशक (जन स्वास्थ्य)/2020/30 दिनांकः 06.03.2020

समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– कोरोना वायरस (COVID-19) रोग की रोकथाम एंव नियंत्रण बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) रोग की रोकथाम एंव नियंत्रण आदि की कार्यवाही हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ट्रेवल एडवाईजरी, हैल्थ केयर फेसिलिटी, इन्फेक्शन प्रिवेन्शन एण्ड कंट्रोल, सैम्पल कलेक्शन एंव ट्रांसपोर्टेशन, क्लिनिकल केस मेनेजमेन्ट, डिस्चार्ज पॉलिसी, कन्टेनमेंट प्लॉन तथा डिसइन्फेक्शन पॉलिसी आदि के अनुसार कार्यवाही हेतु श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्व में सभी जिलों को निर्देशित किया जा चुका है, तथा उनके द्वारा राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) रोग की दैनिक समीक्षा एंव मॉनिटरिंग निदेशालय में की जा रही है।

इस सम्बधं में दिनांक 05.03.2020 को आयोजित बैठक में जिला स्तर पर रेपीड रेस्पोन्स टीम (RRT) का पुर्नगठन करने के निर्देश प्रदान किये है। उक्त रेपीड रेस्पोन्स टीमों (RRT) में निम्नांकित विशेषज्ञों को शामील किया जाना आवश्यक हैः–

1. फिजीशियन (MD Medicine) 1
2. पिडियट्रीशियन (MD Pediatrics) 1
3. उप मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी 1
4. पैथोलोजिस्ट/माईक्रोबॉयोलोजिस्ट/एन्टोमोलोजिस्ट 1

अतः निर्देशानुसार उक्त विशेषज्ञों की प्रत्येक जिले में एक रेपीड रेस्पोन्स टीम (RRT) का गठन आज ही कर आदेश की प्रति मेल द्वारा rajasthansacs@gmail.com एंव rajasthan_idsp@yahoo.co.in पर आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। सभी जिलों की रेपीड रेस्पोन्स टीमों (RRT) की मॉनिटरिंग का कार्य निदेशक (एड्स) द्वारा किया जावेगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकःनिस/निदेशक (जन स्वास्थ्य)/2020/30 दिनांकः 06.03.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. निदेशक (आरसीएच/एड्स), मुख्यालय।
6. समस्त प्रधानाचार्य एंव नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
7. समस्त अधीक्षक, सलंग्न चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
8. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय।
9. समस्त सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, जोन– राजस्थान।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
11. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र सम्बन्धित अधिकारियों को मेल द्वारा भिजवाते हुये विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।